<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>17.06.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में 16.06.2026 पर करनार, दिल्ली और गोवा में अशोक मित्तल, सौरभ ढींगरा, भारत भूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य से जुड़े 11 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीबीआई, बीएसएफबी, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स महेश टिम्बर प्रा. लि., उसके निदेशकों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की। यह मामला विदेशी साख-पत्रों में अनधिकृत स्विफ्ट संशोधनों के माध्यम से की गई धोखाधड़ीपूर्ण वृद्धि से संबंधित है, जिनकी फिनैकल में कोई समतुल्य प्रविष्टि नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा बैंकों के संघ को लगभग ₹155.21 करोड़ की अनुचित वित्तीय हानि हुई।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि मेसर्स महेश टिम्बर प्रा. लि. ने भारत एवं सिंगापुर स्थित संबद्ध संस्थाओं तथा व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर, लकड़ी के किसी वास्तविक आयात के बिना, हेरफेर किए गए विदेशी साख-पत्रों (FLCs) के माध्यम से लगभग ₹195.02 करोड़ की राशि का धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण किया। सीमा शुल्क (कस्टम्स) अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापन से यह स्थापित हुआ कि बैंकों को प्रस्तुत किए गए बड़ी संख्या में बिल ऑफ एंट्री (Bills of Entry) एवं बिल ऑफ लैडिंग (Bills of Lading) जाली एवं मनगढ़ंत थे।

जांच में आगे यह भी उजागर हुआ कि मेसर्स अमेज़न एक्सपोर्ट्स पीटीई. लि., मेसर्स महेश टिम्बर सिंगापुर पीटीई. लि., मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्रा. लि., शिपिंग कंपनियाँ जैसे मेसर्स बीवीएम शिपिंग पीटीई. लि. एवं मेसर्स पर्ल मैरीटाइम पीटीई. लि., तथा मेसर्स ट्रैफिक मीडिया प्रा. लि. का उपयोग कंपनियों के एक नेटवर्क (Nexus) के रूप में किया गया। इस नेटवर्क के माध्यम से सिंगापुर से भारत में लकड़ी के फर्जी आयात का आभास (Mirage) उत्पन्न किया गया, ताकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) को गुमराह कर ऐसे कथित फर्जी आयातों के विरुद्ध बढ़ी हुई मूल्य राशि वाले विदेशी साख-पत्रों (FLCs) को धोखाधड़ीपूर्वक जारी कराया जा सके तथा उनकी बढ़ी हुई राशि सिंगापुर स्थानांतरित कराई जा सके, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

जांच के दौरान अशोक कुमार मित्तल, रमन सिंगल तथा दीपक सिंगला की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आई है। अशोक कुमार मित्तल और रमन सिंगल ने संबंधित अवधि में मेसर्स महेश टिम्बर प्रा. लि., मेसर्स महेश रिसोर्सेज प्रा. लि., मेसर्स अमेज़न एक्सपोर्ट्स पीटीई. लि. (सिंगापुर), मेसर्स महेश टिम्बर सिंगापुर पीटीई. लि., मेसर्स पर्ल मैरीटाइम, मेसर्स बीवीएम शिपिंग तथा मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्रा. लि. में निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया था।

जांच में यह भी पाया गया है कि वास्तविक आयात के बिना ही कथित रूप से आयातित लकड़ी की खरीद-फरोख्त से संबंधित फर्जी लेन-देन किए गए। इसके अतिरिक्त, अपराध के आगम को सोरभ ढींगरा, भारत भूषण मित्तल तथा अन्य व्यक्तियों की सहायता से विभिन्न माध्यमों से घुमाने एवं परतों में छिपाने (layering) के साक्ष्य भी मिले हैं।

तलाशी के दौरान सोरभ ढींगरा के परिसर से बिक्री विलेख (Sale Deed) समझौते बरामद किए गए तथा संबंधित अपराध–संकेती दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत जब्त किए गए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को धोखा देकर अर्जित अपराध के आगम का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।